

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (100) (71) परि/नियम/मु0/2012/III

जयपुर, दिनांक : 05-04-2013

अधिसूचना

22305

8

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त उप-धारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या एफ 7 (100) (71) परि/नियम/मु0/2012/III/4640 दिनांक 04.07.2012 में निम्न संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की तालिका की समस्त प्रविष्टियों को निम्न प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	मार्ग की दूरी	भाड़ा रूपये में	
		चालक सहित 5 बैठक क्षमता तक की टैक्सी कैब हेतु	चालक सहित 1 से अधिक बैठक क्षमता वाली टैक्सी कैब हेतु
1	प्रथम 2 किमी तक	100	150
2	2 किमी से अधिक किन्तु 4 किमी तक	150	190
3	4 किमी से अधिक किन्तु 6 किमी तक	160	230
4	6 किमी से अधिक किन्तु 8 किमी तक	190	270
5	8 किमी से अधिक किन्तु 10 किमी तक	220	310
6	10 किमी से अधिक किन्तु 12 किमी तक	250	350
7	12 किमी से अधिक किन्तु 14 किमी तक	280	390
8	14 किमी से अधिक किन्तु 16 किमी तक	310	430
9	16 किमी से अधिक किन्तु 20 किमी तक	370	510
10	दर्शनीय स्थल :- विडला मंदिर, म्यूजियम, चिड़िया घर, हवा महल, सिटी पैलेस, जन्तर मंतर, गेटोर छतरियां, जल महल, कनक गार्डन, आमेर किला।	700	900

राज्यपाल के आदेश से,

(पवन अरोड़ा)

उप शासन सचिव (मु0)